



(35)

चायातयः - श्रीमान राजस्व मंडत ग्यालियर केस्प सागर ५.प.प.

BOP
20 MAR 2018

सरमन उम्र 70 वर्षा आत्मज. स्व. श्री खेतसींग देवारी रटायर्ड खिक्का
अधिकारी "दिल्ली" फ्लोट नं. - 147, पाकेट-स सेक्टर - 13 फ्लैट - 11

हारका, दिल्ली-78

पुनरीक्षणकर्ता

// पिल्हा //

शासन

इन्हें उत्तरदाता

पुनरीक्षण क्र. :-

ता.पेणी -

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प. ८०.रा. संहिता-1959

पुनरीक्षणकर्ता श्रीमान तहसीलदार देवरी जिला सागर
द्वारा रा.प.क्र. 42-अ/६-अ/वर्षा- 2013-14 में पारित किए गए आदेश
दिनांक 22.०८.११८ से परिवेदित होकर निम्नानुसार इनीष्टि प्रस्तुत कर
चाय हेतु प्रार्थी है:-

// प्रकरण के तथ्य //

1- यह कि पुनरीक्षण कर्ता के पिता स्व. खेतसींग के नाम
से मौजा रजौला प.ह.न. ६८ रा.पि. म. देवरी के नसरा नं. ३४ में
०.१४६ है. याचिक ०.३६ डिसीमि भूमि दर्ज रही है। जिस पर पुनरीक्षण-
कर्ता अपने पिता के जीवनकाल से काबिज बना हूआ है।

2- यह कि पुनरीक्षण कर्ता दिल्ली में न्यास करता था
तथा उसके पिता खेतसींग अंथे हो गए थे जो राजस्व लार्वाइयों से अन-
भिज्ञ होने के कारण बंदोवस्त के दौरान ही कार्यालय से अनभिज्ञ रहे
और स्वर्गीय खेतसींग के नाम से दर्ज भूमि को संपूर्ण त्व से विलोपित कर
दिया गया जिससे परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्ता ने श्रीमान क्लेक्टर सागर
के समक्ष बंदोवस्त के दौरान की गई भूमि को सुधार करने हेतु दिनांक-
०६.०८.२०१३ को आवेदन प्रस्तुत किया था जो श्रीमान क्लेक्टर सागर
प्रियाप्त हारा तहसीलदार देवारी से भूमि के संबंध में ग्रैटवेदन चाहा

प्राप्त

I / કાંગળ / ૨૦૧૮ | ૨૧૬૬

રામન વિ શાહ

14.9.18

યોગ્ય અનુભૂતિ } નિરાચારિકતા કે
આધિકારી આ. લીલા પુરુષ સફરી

• હેઠળે કે છારા યોગ્ય રૂપે
લો કા અનુરોધ કરાયે |

(૨) અનુરોધ એવા કિયા બાળ

કે | |
—
14.9.18

2

14.9.18